सरल कानूनी ज्ञान माला - 25

बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929

बाल विवाह कानूनी अपराध है-

❖ बाल विवाह अधिनियम, 1929 के अन्तर्गत

  ❖ 18 साल से कम उम्र की लड़की,

  ❖ 21 साल से कम उम्र के लड़के।

की शादी करवाना कानूनी अपराध है।

बाल विवाह में सहयोग करने वाले लोगों को सजा हो सकती है-

❖ ऐसी शादी करवाने वाले या योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों जैसे-

  ❖ वर एवं वूध पक्ष के माता-पिता,

  ❖ रिश्तेदार,

  ❖ बाराती एवं

  ❖ विवाह करवाने वाले पंडित को।

बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929 की धारा 5, 6 के अन्तर्गत तीन महीने की कैद अथवा जुर्माना दोनों हो सकता है।

21 साल से कम उम्र के पुरुष द्वारा बाल विवाह कानूनी अपराध है-

❖ यदि कोई पुरुष से अधिक है, बच्चे के साथ विवाह करता है, ऐसे व्यक्ति को बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिन का सामान्य कारावास या 100 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

21 साल से अधिक उम्र के पुरुष द्वारा बल विवाह कानूनी अपराध है-

❖ यदि कोई पुरुष जो कि 21 साल से अधिक है, बच्चे के साथ विवाह करता है ऐसे व्यक्ति को बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929 की धारा 3 के अन्तर्गत 3 महीने का सामान्य कारावास तथा जुर्माना भी हो सकता है।

न्यायालय द्वारा बाल विवाह अपराध की सुनवाई-

❖ न्यायालय बाल विवाह होने के 1 साल के अन्दर की सुनवाई कर सकता है। (धारा 9 क अन्तर्गत)

❖ बाल विवाह अपराध से सम्बन्धित शिकायत जो न्यायालय के सामने आती है, वह न्यायालय स्वयं उसकी जांच कर सकता है, या उसकी प्राथमिक जांच करवाने के लिए बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929 की धारा 10 के अन्तर्गत किसी भी मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है।

बाल विवाह अपराध की सूचना किसको दें?

❖ अगर किसी व्यक्ति को जानकारी मिलती है कि कहीं पर बाल विवाह करवाया जा रहा है, तो वह इसकी सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे सकता है।

❖ वह अधिकारी बाल विवाह रोकने के लिए सम्बन्धित पक्षकारों को आधिकारिक आदेश की जानकारी देगा।

❖ यदि उसके बाद भी कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को बाल विवाह निवारण अधिनियम, 1929 की धारा 12 के अन्तर्गत 3 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

❖ बाल विवाह रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के न्यायालय के समक्ष भी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना कानूनी अपराध है।

बाल विवाह निवारण अधिकारी कर्तव्य-

❖ बाल विवाह अपराध को रोकने के लिए राज्य सरकार बाल विवाह निवारण अधिकारी को भी नियुक्त कर सकती है जिसके प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं-

❖ बाल विवाह अधिनियम के विरूद्ध हो रही शादी को रोकने के लिए उचित प्रभावी कदम उठा सकते हैं।

❖ बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पक्षकारों के खिलाफ प्रभावी अभियोजन हेतु महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करना।

❖ राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्व।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -